मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014 (27 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 एवं 23) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 103 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 115 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 20 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तदनुसार–

(1) श्री सोहनलाल वाल्मीक, सदस्य की परासिया व जुन्नारदेव की कोयला खानों के कामगारों को निर्धारित वेतनमान न देने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम चकमजीदपुर निवासी महिला की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज न होने,
(3) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की चम्बल संभाग में चम्बल नहर से पानी छोड़े जाने,
(4) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिंगरौली जिले के जे.पी. प्लांट द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने,
(5) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्य की कटनी जिले में नदी पर पुल न बनाये जाने,
(6) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम टोडी मदनपुर स्थित तालाब के क्षतिग्रस्त होने,
(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डौरी जिले में केन्द्रीय विद्यालय का भवन निर्माण न होने,
(8) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्या की रीवा जिले के ग्राम सेमरिया में पेयजल की व्यवस्था न होने,
(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में विद्युत संकट होने,
(10) श्री उमंग सिंघार, सदस्य की धार जिले के थाना राजौद में अपहरण की रिपोर्ट पर कार्रवाई न होने,
(11) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में को-आपरेटिव्ह बैंक का मुख्यालय न बनाये जाने,
(12) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की कुम्हारी से सिहोरा की सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होने,
(13) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सदस्य की डिण्डौरी जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्य में अनियमितता होने,
(14) श्री कैलाश चावला, सदस्य की नीमच एवं मंदसौर जिले में नीलगाय के कारण फसलों का नुकसान होने,
(15) श्री अनिल फिरोजिया, सदस्य की उज्जैन जिले के सिंहस्थ का मास्टर प्लान तैयार न करने,
(16) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में वृद्धावस्था पेंशन योजना में भ्रष्टाचार होने,
(17) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडव्होकेट), सदस्य की अम्बाह के उसैदघाट गांव की चम्बल नदी पर पुल बनाये जाने,
(18) श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य की मालवा क्षेत्र में कृषकों को कृषि यंत्र खरीदी की अनुदान राशि न मिलना,
(19) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना), सदस्य की रीवा जिले के हनुमना में सुलभ जन सुविधा केन्द्र न होना तथा
(20) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले की पंचायत बुढया के पंचायत कर्मी सचिव को पद से हटाये जाने के बाद भी कार्यरत होने

(श्री रामनिवास रावत, सदस्य तथा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा "व्यापम का सच" पुस्तक संबंधी विशेषाधिकार भंग की दी गई सूचना पर चर्चा कराने की मांग की. श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य माईक बंद होने की बात कहते हुए गर्भगृह में आये तथा अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापस अपने स्थान पर गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेषाधिकार भंग की दी गई सूचना पर निर्णय उनके क्षेत्राधिकार में होने तथा इस पर परीक्षणोपरांत व्यवस्था देने की बात कही गई. इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा प्रेषित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

3. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 12 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर लिए जाने सम्बन्धी घोषणा की गई.

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उनका ध्यानाकर्षण संख्या (5) आज चर्चा में नहीं आने की बात कही गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे अध्यक्षीय कक्ष में आकर चर्चा करने संबंधी निर्देश दिये गये. किन्तु श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(1) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, शंकरलाल तिवारी तथा गिरीश गौतम, सदस्यगण ने सीधी नगर में पुलिस कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने अमरकंटक स्थित नर्मदा के उदगम स्थल में प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने सिवनी जिले में अवैध मत्स्याखेट होने की ओर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री प्रदीप अग्रवाल, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री भारत सिंह कुशवाह तथा घनश्याम पिरौनिया, सदस्यगण ने दतिया, भिण्ड एवं ग्वालियर जिलों में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 4 के उप पद (5) से (12) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल की अनेक कॉलोनीज में पेयजल संकट होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की उज्जैन संभाग के रतलाम-मंदसौर एवं नीमच जिलों में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

(7) सर्वश्री दिनेश राय 'मुनमुन' तथा सचिन यादव, सदस्यगण की सिवनी जिले में व्यापारियों द्वारा घटिया खाद की बिक्री की जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में रिहायशी क्षेत्र में पवन-चक्की लगाये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर जिले की देवरी एवं केसली तहसीलों में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी न की जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(10) सर्वश्री निशंक कुमार जैन, हरदीप सिंह डंग तथा जयवर्द्धन सिंह, सदस्यगण की विदिशा जिले की गंजबासौदा नगर पालिका द्वारा जल आवर्द्धन योजना में अनियमितता की जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य.

(11) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन के पॉवर लूम्स को सबसिडी प्रदान न किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का वक्तव्य.

(12) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के ग्राम पोखरनी के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(2) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(3) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(4) श्रीमती चंदा सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(5) श्री राम निवास रावत (जिला-श्योपुर)
(6) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(7) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(8) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(9) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(10) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(11) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)

5. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

16. श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री की मांगों पर दिनांक 17 जुलाई, 2014 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(4) श्री दुर्गालाल विजय
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(7) श्री निशंक कुमार जैन
(8) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(9) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया
(10) श्री रामलल्लू वैश्य
(11) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(12) श्री जयवर्द्धन सिंह
(13) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(14) श्रीमती शीला त्यागी
(15) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'
(16) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)

(17) श्री इन्दर सिंह परमार
(18) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(19) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(29) श्री आर.डी. प्रजापति

(21) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(22) श्री सचिन यादव

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

17. डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए चार हजार एक सौ दस करोड़, इक्कीस लाख, पचासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल के लिए सड़सठ करोड छियासठ लाख, तैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 38	आयुष के लिए चार सौ अस्सी करोड़, इक्यानवे लाख, छियालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए नब्बे करोड़, चौसठ लाख, अठारह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 73	चिकित्सा शिक्षा के लिए पॉंच सौ अड़तीस करोड़, छब्बीस लाख, सत्रह हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री शैलेन्द्र जैन
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(5) श्री जितू पटवारी

(6) श्री रामेश्वर शर्मा
(7) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(8) श्री गिरीश भण्डारी
(9) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(10) श्री गोवर्धन उपाध्याय
(11) श्री दुर्गालाल विजय
(12) श्रीमती झूमा सोलंकी
(13) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(14) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)
(15) श्री निशंक कुमार जैन
(16) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(17) श्रीमती सरस्वती सिंह
(18) श्री ऊर्षा चौधरी
(19) श्री वैल सिंह भूरिया
(20) श्रीमती शीला त्यागी
(21) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल
(22) श्री रामनिवास रावत
(23) श्री दिलीप सिंह परिहार
(24) श्री मनोज पटेल
(25) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया

डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय संकल्पों को आगामी शुक्रवार को लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – “आज की कार्यसूची में उल्लिखित अशासकीय संकल्प, सम्बन्धित माननीय सदस्यों की सहमति के अनुसार, आगामी शुक्रवार को लिये जायेंगे.”

अपरान्ह 6.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014 (30 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 18 जुलाई, 2014